76/2015 का॰ रि॰

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

1 अपील संख्या 45 / 2015

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 छोटुराम पुत्र सुरजाराम।

2 बिडदुराम पुत्र सुरजाराम समस्त जाति माली निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते

1 मूलचन्द पुत्र पालाराम जाति माली निवासी चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

2 रोहिताश पुत्र सुरजाराम।

3 धर्मपाल पुत्र सुरजाराम।

4 जगदीश पुत्र सुरजाराम समस्त जाति माली निवासी चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

5 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 04.05.15 द्वारा उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी मुकदमा मूलचन्द बनाम बिडदुराम आदि प्रार्थना पत्र अं. 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 265/14

उपस्थित

1. श्री उम्मेद राज अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज कुमार वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

2 अपील संख्या 76/2015

1 नानूराम पुत्र मांगूराम।

2 सुरेश पुत्र मांगूराम।

3 मूलचन्द पुत्र पाला जाति समस्त माली निवासीगण ढ़ाणी सुन्दरी की तन चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश पुत्र सुरजाराम।

2 धर्मपाल पुत्र सुरजाराम।

3 रोहिताश पुत्र सुरजाराम।

4 छोटुराम पुत्र सुरजाराम।

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधि...

5 बिड़दुराम पुत्र सुरजाराम जाति समस्त माली निवासीगण चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

6 कैलाश पुत्र मांगूराम।

7 राकेश पुत्र मागूराम।

8 पूर्ण पुत्र मांगूराम जाति समस्त माली निवासीगण ढ़ाणी सुन्दरी की तन चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

9 तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अ.धा. आर.टी.एक्ट 1955 खिलाफ निर्णय
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू
मुकदमा उनवानी जगदीश वगैरह बनाम नानूराम वगैरह
प्रार्थना पत्र अ.धा. 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मु.नं. 280 / 2014 आदेश दिनांक 27.05.15

उपस्थित

1. श्री विजयपाल अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेद राज सैनी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांक:— 07.09.2018

प्रबन्ध अधिकारी एवं
प्रदेश राजस्व अपील अधिकारी

यह दोनो अपीले विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण संख्या 265/2014 में पारित निर्णय दिनांक 04. 05.2015 एवं प्रकरण संख्या 280/2014 में पारित निर्णय दिनांक 27.05. 2015 के विरूद्व पृथक पृथक प्रस्तुत की गई है दोनो अपीलों के पक्षकार एवं तथ्य समान होने के कारण दोनो अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। दोनों पत्रावलियों में निर्णय पृथक पृथक रखा जाये।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या एक मूलचन्द ने खसरा नम्बर 298 एवं 297 में रास्ते की मांग की जिसे विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 04.05.2015 से स्वीकार कर लिया है इससे व्यथित होकर अपील संख्या 45/2015 पेश की गई है। इसी प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 जगदीश, धर्मपाल, रोहिताश, छोटु एंव बिडदु ने खसरा नम्बर 304 में से रास्ते की मांग की विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 27.05.2015 से स्वीकार कर लिया है इससे व्यथित होकर अपील संख्या 76/2015 पेश की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 299 में अपीलांट खसरा नम्बर 298 के दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे पुराना रास्ता जो काफी लम्बे समय से चला आ रहा है उसमें से होकर आवाजाही करते है इस मौका रिपोर्ट से रेस्पोडेंट संख्या 1 का कथन मिथ्या साबित होता है कि रेस्पोडेंट के पास खसरा नम्बर 299 में आने जाने के लिए कोई रास्ता न हो रेस्पोडेंट संख्या 1 खसरा नम्बर 298,299,304 की सीवों के सहारे से रास्ते का उपयोग उपभोग कर्ता चला आ रहा है विचारण न्यायालय को उक्त दोनो प्रार्थना पत्रों को इकजाही कर निर्णय हेतु निवेदन भी किया गया था परन्तु विचारण न्यायालय ने इस पर गौर नही कर मन माना निर्णय पारित किया गया है जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विवादित भूमि पर RAA सीकर की अदालत से स्थगन होने का उल्लेख किया गया है जिस पर विचार नही कर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी

मांगे बिना खसरा नम्बर 304 से रास्ता देकर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 304 की वस्तु स्थिति की जांच किये बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 68,69,70 की पालना नही कि गई है काश्तकार की सुविधा के लिए नये रास्ते का निर्माण नही हो सकता है विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया है अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त करने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2013 पेज 835 आर.एल. डब्ल्यू 2017 (1) पेज 541 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 251ए के प्रावधानों की प्रति प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया का पालन कर उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त गुणागुण पर रास्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 251ए के प्रावधानों के अनुरूप विचाराधीन निर्णय पारित किये है अत दोनों अपीले सारहीन होने से खारिज की जाये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया था कि दोनों पत्रावलियों में चाहे गये रास्ते परस्पर नजदीक है पक्षकार सम्मान है अत दोनों पत्रावलियों को इकजाही कर निर्णय पारित किया जाये पर विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विवेचन नही किया है विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को भी विवेचित नही किया गया है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन दोनों निर्णय विधि सम्मत नही माने जा सकते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले स्वीकार की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन दोनों निर्णय अपास्त किये जाते है एवं दोनों प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किये जाते है कि दोनों प्रकरणों को इकजाही करे दोनों प्रकरणों के पक्षकारों की उपस्थिति में तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका रिपोर्ट ली जाये

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

दोनों प्रकरणों के पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर बाद सुनवाई गुणागुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय में दिनांक 08.10.2018 को उपस्थिति दें।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर